

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
॥ आदेश ॥

पटना, दिनांक.....

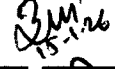
- संचिका संख्या-06/अल्प०वि०11-01/2023...../ विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 165 दिनांक 18.08.2025 द्वारा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के वेतनादि एवं बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु सहायक अनुदान मद में कुल 28,56,98,000/- (अठाइस करोड़ छप्पन लाख अठानवे हजार) रुपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं रोहतास के पत्रांक क्रमशः 939 दिनांक 22.12.2025 एवं 873 दिनांक 31.07.2025 द्वारा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनादि एवं बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की अधियाचना प्रेषित की गयी है।
3. अंकनीय है कि उक्त मद में जिला सारण एवं मुंगेर द्वारा माह दिसम्बर 2025 तक आवंटित राशि का 40 प्रतिशत से भी कम व्यय किया गया है।
4. उक्त के आलोक में उक्त मद में जिला सारण को आवंटित राशि 1,05,00,000/- (एक करोड़ पाँच लाख) रुपये से जिला रोहतास को 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये तथा जिला मुंगेर को आवंटित राशि 1,80,00,000/- (एक करोड़ अस्सी लाख) रुपये से जिला पश्चिम चम्पारण को 50,00,000/- (पचास लाख) रुपये आवंटित करने का निदेश दिया जाता है।
5. अंकनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-21 मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष 0001-गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, विपत्र कोड संख्या-21-2202011020001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-0001-31-04-सहायक अनुदान वेतन में उपबन्धित राशि 28,56,98,000/- (अठाइस करोड़ छप्पन लाख अठानवे हजार) रुपये से की गयी है।
6. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा तत्संबंधी वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप तथा प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के प्रावधानों के अधीन की जायेगी।
7. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक 07.01.2026 को टिप्पणी पृष्ठ 69/टि० पर प्राप्त कर ली गयी है।
8. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 06/अल्प०वि०11-01/2023 ...11.11.....

पटना, दिनांक...15.10.112026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग/आय-व्यय शाखा, वित्त (अंकेक्षण)/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग/बजट शाखा, शिक्षा विभाग/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

